

17/5/18

पंजाब की न्याय आयोग द्वारा हेममंडलारी
 देखा है। प्रकृत पंजाब की न्याय
 आयोग की न्याय प्रकृत प्रकृत
 न्याय के आदेश दिनांक 28/2/17
 के द्वारा एक पक्षीय ही आदेश जारी
 की गई है जिसके अंतर्गत इसे
 10 महीने का समय दे दिया है
 के अंतर्गत एक पक्षीय
 न्याय आयोग की न्याय
 आदेश के अंतर्गत न्याय
 ही आदेश अंतर्गत न्याय के

आयालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>दा के के सा यह कर्म सिमा गारा ठ पुस्तक के मय मुम्मा हो कर नम्बर हो कर रहे। यह (कभी धा. 26) क 1 मय हो हुक्म पुस्तक यह रहे)</p> <p style="text-align: center;">/s/ उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज.)</p>	